उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या—49/तीन—2025—39(2)/16
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2025

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या—870/तीन—2024—39(2)/2016 दिनॉक 17 दिसम्बर, 2024 द्वारा वर्ष 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर—2(ii) में वर्ष 2025 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के कमांक—3 पर मकर संकान्ति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी, 2025 (मंगलवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त मकर संकान्ति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी, 2025 (मंगलवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन एतदद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

2— सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की उक्त विज्ञप्ति दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

जुहैर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या—49(1) तीन—2025, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3— अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4— मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6— महालेखाकार, उ0प्र इलाहाबाद।
7— प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0
8— समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9— सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
10— सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11— प्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैक आफ बडौदा, आंचलिक कार्यालय 45 भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
12— क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैक, कानपुर।
13— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
14— महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैक, गोमतीनगर, लखनऊ।
15— कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
16— संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
17— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(उमेश यादव)
उप सचिव।

UO